



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1241 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1241**

**विषय / Sub: निकल कैडमियम एयरक्राफ्ट बैटरी 24 वी, 25 एएच**  
**Nickel Cadmium Aircraft Battery 24 V, 25 Ah**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हाई एनर्जी बैटरीज (इंडिया) लिमिटेड, पक्कुडी रोड, माथुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, माथुर-622 515, पुदुक्कोट्टाई जिला, तमिल नाडु, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित " निकल कैडमियम एयरक्राफ्ट बैटरी, 24 वी, 25 एएच ", सेल पार्ट सं. एफटीएनसी 25 सहित उत्पादक के पार्ट सं. एफटीएनसी 0155, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1241, दिनांक 08 दिसंबर 2006 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1241 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1241/1आर, दिनांक 21 फरवरी 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक थी।

*This is to state that the "Nickel Cadmium Aircraft Battery, 24 V, 25 Ah" bearing the manufacturer's Part No.: FTNC 0155 with Cell Part No.: FTNC 25 designed, developed and manufactured by M/s. High Energy Batteries (India) Limited, Pakkudi Road, Mathur Industrial Estate, Mathur – 622 515, Pudukkottai District, Tamil Nadu was issued with Type Approval No.: 1241 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1241, dated: 08<sup>th</sup> December 2006. Subsequently this was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1241/1R, dated: 21<sup>st</sup> February 2012 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 अप्रैल 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, डी आर डी ओ, ओड्डर टाउनशिप – 422 207 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> May 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> April 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), CEMILAC, DRDO, C/O HAL (Aircraft Division), Ojhar Township – 422 207, Nasik, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1241, दिनांक 08 दिसंबर 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1241, dated: 08<sup>th</sup> December 2006 is amended as stated herewith.*

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1241/2R  
दिनांक /Date : 08 May 2017  
फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

*Ravi*  
*Nand*  
416

*P. Jayapal*  
पी . जयपाल / P. JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)